महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

परीक्षा समिति की 29 वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा समिति की 29वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत हैं–

क्र0सं0	नाम	संस्था का नाम	पद नाम	समिति दायित्व
1.	प्रो0 संजीव कुमार	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 देवेन्द्र प्रताप सिंह	कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा,आजमगढ़	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 मधुबाला राय	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 असहद अहमद	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 बृजेश कुमार	श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 एस. ताहिर हसन	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
8.	डा0 सौम्य सेन गुप्ता	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
9.	डा0 सर्वेश कुमार	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
10.	श्री विशेश्वर प्रसाद	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ	कुलसचिव	सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचारोपरान्त निर्णय लिए गए–

मद सं. 1– परीक्षा समिति की 28वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय– समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की 28 वीं बैठक दिनांक: 21.02.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।

मद संख्या 2–यू0एफ0एम0 समिति की बैठक की रिपोर्ट पर विचार।

निर्णय– यू0एफ0एम0 समिति की रिपोर्ट पर महाविद्यालय के उ0पु0 के परीक्षण के उपरान्त विषम सेमे0 परीक्षा सत्र–2024–25 के सामूहिक नकल में आरोपित आजमगढ़ व मऊ के महाविद्यालयों की कुल सं0: 29 है, जिसमें 14 दोषी है तथा शेष आजमगढ़ व मऊ के 15 महाविद्यालयों को दोषमुक्त किया गया है। लाल कपड़े नकल से सम्बन्धित महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षणोपरान्त आजमगढ़ व मऊ में आरोपित (दोषी) छात्र–छात्राओं की सं0: 40 है। यू0एफ0एम0 समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आजमगढ़ व मऊ के कुल–43 छात्र–छात्राओं को दोषमुक्त किया गया तथा दोषसिद्ध पाये गये छात्र–छात्राओं के उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षाए निरस्त कर दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

मद संख्या 3–सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालय को केन्द्र बनाने पर विचार।

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

निर्णय– ऐसे महाविद्यालय मई–2023 के सम सेमे0 की परीक्षा से लेकर अब–तक आरोपित है वह दो वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाए जाएंगे। जैसे यदि महाविद्यालय मई–2023 के सम सेमे0 की परीक्षा में आरोपित पाया गया तो अगले दो वर्ष यानि मई–2025 तक ऐसे महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाएगें।

मद संख्या 4– केन्द्र निर्धारण समिति की आख्या पर विचार।

निर्णय– केन्द्र निर्धारण नियमावली समिति की रिपोर्ट को परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति यथा स्वीकार किया गया। यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त नियमावली से परीक्षा केन्द्र बनाया जाए, जिससे परीक्षा सम्पन्न कराई जाये।

अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मद संख्या 1:– एल0एल0एम0 प्रथम सेमे0 की छात्रा सुषमा, अनु0–24001410026 की छात्रा जो प्रथम सेमे0 में अनुत्तीर्ण हो गयी थी। छात्रा द्वारा भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा फार्म भरा गया परन्तु प्रथम सेमे0 के चारो प्रश्न पत्र परीक्षा में सम्मिलित न होकर केवल दो प्रश्न पत्र की परीक्षा दिया गया, जबकि एल0एल0एम0 के नियमावली के अनुसार चारों प्रश्न पत्र में परीक्षा देना अनिवार्य है। छात्रा द्वारा एल0एल0एम0 द्वितीय सेमे0 का परीक्षा फार्म भर कर परीक्षा में सम्मिलित हो गयी और जिसमें उत्तीर्ण हो गई। छात्रा विश्वविद्यालय के तृतीय सेमे0 का परीक्षा फार्म भरकर परीक्षा दे दी है। परन्तु छात्रा द्वारा प्रथम सेमे0 उत्तीर्ण न करने के कारण छात्रा की तृतीय सेमे0 का परीक्षा फल अवरूद्ध है, छात्रा द्वारा अपने आवेदन पत्र में चतुर्थ सेमे0 का परीक्षा फार्म भरने की मांग की गयी है।

निर्णय:– परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छात्रा का द्वितीय सेमे0 परीक्षाफल रिजर्व रखा जाए तथा तृतीय सेमे0 का परीक्षा घोषित कर दिया जाए। यदि छात्रा तृतीय सेमे0 में उत्तीर्ण है तो प्रथम सेमे0 के चारो प्रश्न पत्रों का स्पेशल बैक परीक्षा कराई जाए। अथवा यदि तृतीय सेमे0 में छात्रा अनुत्तीर्ण हो गई तो प्रथम और तृतीय सेमे0 की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

मद संख्या 2:– छात्रा आंचल यादव बी0काम0 प्रथम वर्ष अनु0: 22251260411, भगवान आदर्श महाविद्यालय, चक्रपाणिपुर कनैला, आजमगढ़, एंव रामा श्री, एम0ए0 प्रथम सेमे0 मनोविज्ञान अनु0: 232692210008, रामबचन यादव महाविद्यालय, बहाउद्दीनपुर, खुराशों, फुलपुर, आजमगढ़ के द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में एम0ए0 प्रथम सेमे0 के माइनर पेपर में अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः बैक परीक्षा कराये जाने की मांग की गयी है, जबकि छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है।

निर्णय:– परीक्षा समिति द्वारा सम्मयक विचार करते हुए ऐसे छात्रों का माइनर प्रश्न पत्र का बैक परीक्षा कराने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति